-88-

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-20[illegible]

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 120] रायपुर, बुधवार, दिनांक 23 मई 2012—ज्येष्ठ 2, शक 1934

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 मई 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-74/7-3/2010.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उप-धार[illegible] सहपठित धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ भूमि व्यपवर्तन नियम, 1962 में निम्नलि[illegible] और संशोधन करती है, जो उक्त संहिता की धारा 258 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गये अनुसार पूर्व में प्रकाशित किये जा चुके [illegible] अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

1. अनुसूची के सरल क्रमांक 1 के सम्मुख कॉलम (2) की प्रविष्टि में, शब्द "आवासीय कालोनी/परियोजना" के पूर्व शब्द "[illegible] इकाई/" अंत:स्थापित किया जाये.

2. सरल क्रमांक 5 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

स. क्र. (1)	भूमि व्यपवर्तन का प्रयोजन (2)	भूमि व्यपवर्तन की सीमा (3)	सक्षम प्राधिकारी (4)
"5.	औद्योगिक प्रयोजन	(एक) 2 हेक्टेयर तक	कलेक्टर
		(दो) 2 हेक्टेयर से अधिक	राज्य शासन"

-89-

COUR
EMPOWERIN

Raipur, the 23rd May 2012

NOTIFICATION

No. F-6-74/7-3/2010.—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 258 read with Section 172 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Diversion of Land Rules, 1962, the same having been previously published as required by sub-section (3) of section 258 of the said code, namely :—

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,—

1. In the entries in column (2) against serial Number 1 of the Schedule, before the words "Residential Colony/ Project" the words "Residential Unit/" shall be inserted.

2. For serial Number 5 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

S. No. (1)	Purpose of Land Diversion (2)	Extent of Land Diversion (3)	Competent Authority (4)
"5.	Industrial Purpose	(i) upto 2 hectares	Collector
		(ii) more than 2 hectares	State Government"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, उप-सचिव.